न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 33/2005 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2005/00015

उनवान

1. विमला पुत्री अंगद पत्नी हरिओम कौम ब्राहम्ण निवासी ओंरगपुर तहसील खैरागढ जिला आगरा यू0पी0।

........................अपीलांट।

बनाम

1. नत्थी पुत्र अंगद कौम ब्राहम्ण निवासी करीमपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
2. माया पुत्री अंगद पत्नी बाबूलाल कौम ब्राहम्ण निवासी करीमपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (फौत)
   - 2/1. बाबूलाल पुत्र देवीलाल जाति ब्राहम्ण (फौत)
   - 2/2. राकेश
   - 2/3. महेश
   - 2/4. सुरेश

   (2/2 से 2/4: पिस0 बाबूलाल जाति ब्राहम्ण; 2/1 से 2/4: निवासी बल्लापोठा भोलानाथ स्कूल के पास जगनेर तहसील खैरागढ जिला आगरा।)
   - 2/5. बीना पुत्री बाबूलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी बदरौली तहसील किरावली जिला आगरा यू0पी0
   - 2/6. आशा पुत्री बाबूलाल पत्नी मुरारी जाति ब्राहम्ण निवासी महेश्वेर तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
   - 2/7. मालती पुत्री बाबूलाल पत्नी हेमेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी नगला ब्राहम्ण निवासी किरावली जिला आगरा यू0पी0।
3. मुन्नी पुत्री अंगद पत्नी वासदेव कौम ब्राहम्ण निवासी उमरारा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
4. बनवारी
5. श्री भगवान उर्फ गोधना

   (4 व 5: पिस0 दीनदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी नादनपुर पोस्ट नादनपुर तह0 बसेडी जिला धौलपुर।)
6. मंजू पत्नी टीकमचन्द पुत्री दीनदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी दौपुरा पोस्ट बसेडी तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
7. रज्जो पुत्री दीनदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी दौपुरा (रेवियापुरा) तहसील बसेडी जिला धौलपुर जिला धौलपुर।
8. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार सैपऊ।
9. सहकारी भूमि विकास बैंक धौलपुर द्वारा प्रबंधक सहकारी भूमि विकास बैंक धौलपुर।
10. दीनदयाल पुत्र श्री देवीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी नादनपुर तहसील बसेडी जिला धौलपुर (फौत)

..............................रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी धौलपुर दि0 29.03.2005 प्र.सं. 36/05 उनवानी विमला बनाम नत्थी।

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेश कटारा, वकील अपीलांट।
2. श्री श्री गोपाल शर्मा, श्री किशन सिंह त्यागी वकील रैस्पो0।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

निर्णय दिनांक–30.09.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2005 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी, वादी अपीलाण्ट व प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 लगायम 03 के पिता तथा प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 04 लगायत 07 के नाना स्व0 अंगद की खातेदारी की आराजी थी। अंगद का निधन करीब 32 वर्ष पूर्व हो चुका है। स्व0 अंगद के निधन के समय प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 04 लगायत 07 की माता मुस0 शीला जीवित थी। अंगद की मृत्यु के बाद विवादित आराजी में उसके पांचो वारिस वहैसियत खातेदार काश्तकार व हिस्सा बराबर काबिज हुये तथा काश्त करते रहे। शीला के निधन को करीब 20 साल हो चुके हैं उसके बाद उसके हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 04 लगायत 7 हिस्सा 1/5 पर काबिज होकर काश्त करते रहे। इस प्रकार वादी अपीलाण्ट एवं प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 विवादित आराजी में 1/5–1/5 हिस्से पर तथा प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 04 लगायत 7 भी 1/5 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। किन्तु प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 ने राजस्व कर्मचारियो से साज कर अंगद की मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजी सम्पूर्ण की खातेदारी अपने नाम करा ली। वादी अपीलाण्ट ने उक्त गलत इंद्राजो को सही कराने की कहा तो प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 साफ इंकारी हो गये। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में स्वयं को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अपीलाण्ट अंगद की पुत्री हैं एवं नत्थी रैस्पो0 संख्या 01 की बहन है एवं विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। उक्त दोनों ही तथ्य को रैस्पो0 संख्या 01 स्वीकारते हैं। रैस्पो0 विवादित आराजी बाबत् स्वयं के हक में वसीयत होना बताते हैं। परन्तु कानूनन पैतृक सम्पत्ति की वसीयत नहीं हो सकती है। वसीयत में नत्थी का कोई हिस्सा 1/2 का हवाला नहीं है। बल्कि सम्पूर्ण जमीन जायदाद की वसीयत की है। साक्ष्य/जवाब में 1/2 का खातेदार बताया है, अतः तथ्यो एवं कथनो में भिन्नता है। वसीयत केवल लडकियो के विवादित आराजी में बनने वाले हिस्से को खत्म करने की उद्देश्य से करायी गयी है। वसीयत में कोई खसरा नम्बरो का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा वसीयत ना तो स्टाम्प पर है एवं ना पंजीकृत है। अंगद के फौत होने के पश्चात् विरासत का नामान्तकरण खोला गया है। उक्त नामान्तकरण में वसीयत का हवाला नहीं है एवं उक्त नामान्तकरण नत्थी के नाम पंचायत में स्वीकार हुआ है। प्रथम पंक्ति के उत्तराधिकारी (पुत्री) को उनके अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता है। वसीयत में जो जगदीश गवाह है वह नाबालिग है। डीडब्ल्यू 2 के बयानो के आधार पर वह तत्सयम 12–13 वर्ष

अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

का था। वसीयत में दो गवाह होने आवश्यक हैं। परन्तु एक गवाह के नाबालिग होने से वसीयत वैध नहीं मानी जा सकती है। गवाहो के भी सिर्फ नाम ही अंकित है, उनका कोई पता अंकित नहीं है। जबकि गवाहो के नाम पता अंकित होना जरूरी है। गवाह डीब्ल्यू 3 ने वसीयत के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला जबकि गवाही वसीयत के बारे में देने आये थे। अंत में कहा कि नत्थी के कहने पर गवाही देने आये थे। वसीयतकर्ता गले के कैंसर से पीडित था, उसने स्वयं बोलकर वसीयत लिखाई। अर्थात मानसिक संतुलन/स्वस्थ नहीं था। दस्तावेजी साक्ष्य एवं कथन में भिन्नता है। एक तरफ कहते हैं कि पूरा हिस्सा की वसीयत करायी वहीं दूसरी ओर जवाब दावा में 1/2 भाग की वसीयत होना कथन करते हैं। विवादित आराजी को रैस्पो0 पैतृिक सम्पत्ति होना स्वीकार करते हैं। अतः विवादित आराजी में अपीलाण्ट का भी हिस्सा बनता है। वसीयत का इरादा देखा जाता है। नत्थी रिकार्डेड खातेदार था स्वीकृत तथ्य है। इसमें 1/2 भाग की वसीयत हुयी क्योंकि वह 1/2 भाग का ही खातेदार था। शेष 1/2 भाग में अपीलाण्ट के जन्म से ही खातेदारी अधिकार हैं। स्वयं नत्थीलाल ने बयान हैं कि मैंने अपने बाबा को नहीं देखा। मेरे बाबा की जिंदगी में मेरा जन्म नहीं हुआ, तो नत्थी को 1/2 भाग कहॉ से आ जायेगा। अर्थात पूरी आराजी अंगद की रही एवं उक्त आराजी में समस्त पुत्र एवं पुत्रियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त होगें। शीला (मृतक पुत्री) के पति दीनदयाल को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। अतः नोन जोइन्डर के आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता। बाद में दीनदयाल एवं उनके सभी वारिसान को पक्षकार मुकदमा बना लिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से की भूमि की वसीयत कर सकता है। परन्तु वसीयत सम्पूर्ण सम्पत्ति की कर दी, अतः वसीयत प्रारंभ से ही अवैध है। अंत में अपने कथनो के सर्मथन में न्यायिक नजीर एआईआर 1990 पेज 1742, 1974 पेज 73, आरआरटी 2018(2) पेज 1188, आरबीजे 2010 पेज 649, 2015 पेज 41, आरआरडी 2000 पेज 106, 1998 पेज 478 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलांट स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पा0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप हैं। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट अंगद की पुत्री है यह स्वीकृत तथ्य है। परन्तु अपीलाण्ट विवादित आराजी पर कभी काबिज नहीं रही है। अतः बिना कब्जा दावा पोषणीय ही नहीं रहता। अपीलाण्ट ने अपने दावे में कब्जे के बारे में यह अंकित नहीं किया कि वह विवादित आराजी पर कैसे काबिज हैं। दावा सन् 2001 में सन् 2005 से पूर्व आया, जिसमें लडकियों को कोपार्सनर नहीं माना। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने बयानो में विवादित आराजी पर काश्त करना एवं नत्थी को लगान देना बताया है इसी तथ्य को रामश्री ने बताया है। इस प्रकार विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा साबित नहीं होता। जिरह अपीलाण्ट विमला से हुयी उसने जिरह में यह नहीं बताया कि कितना अनाज बॉटते थे अथवा कितनी लगान देते थे। रैस्पो0 ने अपने जवाब में आपत्ति ली कि दावे के समय शीला पुत्री अंगद मृत थी। अपीलाण्ट ने शीला के पति दीनदयाल को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 05 निर्मित की, जिसका निर्णय अपीलाण्ट के विरूद्ध हुआ, आवश्यक पक्षकार को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाने के अभाव में दावा खारिज किया। वसीयत अपंजीकृत एवं बिना स्टाम्प के सादा कागज पर भी हो सकती है। अपीलाण्ट जगदीश को नाबालिग बताते हैं। परन्तु नत्थी की जिरह में जगदीश की उम्र 24 वर्ष

उप खण्ड अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

बतायी है। वसीयत को गवाह प्रमाणित करते हैं। बालिग होनें या नाबालिग होने से कोई फर्क नहीं पडता क्योंकि वसीयत एक गवाह से भी प्रमाणित हो सकती है। अंगद को गले का कैंसर था, दवाब में कराया गया यह सत्य नहीं है। अंगद बोल सकता था एवं बोलकर वसीयत लिखायी है, कोई मानसिक दवाब में नहीं था। वसीयत की धारा 30 में कहीं भी पैतृक सम्पत्ति की वसीयत नहीं होना निषेध नहीं है। पैतृक सम्पत्ति की वसीयत हो सकती है। वसीयत में दो गवाह जरूरी हैं परन्तु कम से कम एक गवाह से वसीयत को सिद्ध कराना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर धारा 63, 74 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 15 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, धारा 212, 213 हिन्दू विधि धारा 223 पुश्तैनी सम्पत्ति, डीएनजे 2024(3) पेज 743, एआईआर 2019 पेज 643, आरआरडी 1984 पेज 391, 1986 पेज 262, एआईआर 1957 पेज 591, 2004 पेज 103 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित 6 तनकियॉ कायम की गयी है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:–

6. तनकी संख्या 1 :– आया वादिया वादग्रस्त आराजी में 1/5 भाग की खातेदार काश्तकार होने से अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करा पाने की अधिकारी है, अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी में विवादित आराजी का पूर्व में अंगद की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी होना तो बताया है। परन्तु अंगद द्वारा विवादित आराजी की रैस्पो0 संख्या 01 नत्थी को वसीयत कर देने से विवादित आराजी में वादी अपीलाण्ट को विवादित आराजी में 1/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार नहीं माना। हम पाते हैं कि वादी एवं प्रतिवादी ने विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति होने के तथ्य से इंकार नहीं किया है एवं ना ही प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 नत्थी ने वादिया अपीलाण्ट को अंगद की पुत्री होने के तथ्य से ही इंकार किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नामान्तकरण संख्या 18, जमाबन्दी संवत 2056–59 व बन्दोबस्ती खतौनी प्रदर्श 4 से स्पष्ट है कि विवादित आराजी स्व0 अंगद के नाम दर्ज रही है। अंगद की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजी विरासतन अकेले जरिये नामान्तकरण संख्या 18 से रैस्पो0 संख्या 01 नत्थी को प्राप्त हुयी है, उक्त नामान्तकरण में कथित वसीयत का कोई उल्लेख नहीं है एवं ना ही नामान्तकरण वसीयत के आधार पर खोला गया है। चूंकि विवादित आराजी पैतृक आराजी होना सिद्ध है एवं वादी एवं प्रतिवादी भी इस तथ्य को स्वीकारते हैं। अतः अंगद की मृत्यु पश्चात् विवादित आराजी अंगद के सभी वारिसान पर वहिस्सा बराबर प्रकांत होगी। रैस्पो0 संख्या 01 को कथित वसीयत के आधार पर कोई लाभ नहीं पहुॅचता है। क्योंकि विवादित आराजी के पैतृक होने से विधि अनुसार उसकी वसीयत नहीं हो सकती। प्रथम दृष्टया वसीयत अपीलाण्ट के अधिकारो को समाप्त करने के उद्देश्य से किया जाना प्रतीत होता है। अतः तनकी वहक वादिया अपीलाण्ट विरूद्ध रैस्पो0 संख्या 01 तय की जाती है।

7. तनकी संख्या 2, आया वादिया प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने की अधिकारी है, चूंकि तनकी संख्या 01 वादिया अपीलाण्ट के हक में पायी गयी है। अतः वादिया

भू. प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलाण्ट रैस्पो0 संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने की अधिकारी होती है। तनकी वहक वादिया अपीलाण्ट विरूद्ध रैस्पो0 संख्या 01 तय की जाती है।

8. तनकी संख्या 3, आया विवादित आराजी पैतृिक सम्पत्ति होने से प्रतिवादी नं0 01 को अपने पिता के जीवनकाल में स्वयं से ही 1/2 भाग का अधिकार प्राप्त हो गया था, यह है कि चूंकि विवादित आराजी पैतृिक सम्पत्ति होना साबित है एवं वादिया एवं प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 के बयानो से अंगद की मृत्यु संवत 2020 में यानि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के पश्चात् हुयी है। विधि अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार सहदायिकी पुश्तैनी सम्पत्ति में पुत्रो के समान ही जन्म से पुत्रियों को भी कानूनन अधिकार प्राप्त हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का यह मत की रैस्पो0 संख्या 01 विवादित आराजी में अपने पिता के जीवनकाल में ही 1/2 हिस्सा प्राप्त कर लिया था, उचित नहीं है। तनकी वहक अपीलाण्ट विरूद्ध रैस्पो0 संख्या 01 निर्णित की जाती है।

9. तनकी संख्या 4, प्रतिवादी संख्या 01 के पिता के द्वारा की गयी वसीयत से उनकी मृत्यु के बाद विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। जैसा कि उपरोक्त तनकी विवेचना में आ चुका है कि पैतृिक सम्पत्ति की वसीयत नहीं हो सकती है। अतः रैस्पो0 संख्या 01 को वसीयत के आधार पर सम्पूर्ण विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इसके अलावा नामान्तकरण भी विरासत का खोला गया है ना कि वसीयत के आधार पर, अतः विवादित आराजी के पैतृिक सम्पत्ति होने के कारण अंगद की आराजी में अंगद के सभी वारिसो को वहिस्सा बराबर आराजी प्राप्त होगी। तनकी वहक वादिया अपीलाण्ट विरूद्ध रैस्पो0 संख्या 01 निर्णित की जाती है।

10. तनकी संख्या 05, शीला का पुत्र श्री भगवान उर्फ गोधना तथा पति दीनदयाल भी जीवित है, जो इस वाद में आवश्यक पक्षकार हैं, उक्त दोनों आवश्यक पक्षकार हस्तगत अपील में प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सीपीसी से दिनांक 13.11.2007 को पक्षकार जोडे जा चुके हैं एवं रैस्पो0 संख्या 01 द्वारा न्यायालय हाजा के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गयी थी वह भी दिनांक 13.06.2013 को खारिज हो चुकी है। अतः उक्त तनकी को विनिश्चय किये जाने की आवश्यकता शेष नहीं रहती है।

11. दादरसी :– सभी तनकियों का निस्तारण किया जा चुका है। समस्त तनकियॉ वादिया अपीलाण्ट के पक्ष में पाई गयी हैं। प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 अपने जिम्में की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। अंगद के सभी वैध वारिसो का विवादित आराजी में वहिस्सा बराबर हिस्सा बनता है। परन्तु अंगद की अन्य पुत्रियो को अपीलाण्ट ने मूल प्रतिवादी संयोजित किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है एवं ना ही हस्तगत अपील में उनके द्वारा कोई आपत्ति दर्ज करायी है। इसलिये हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वह तहसीलदार से स्व0 अंगद के सभी वैध वारिसो की रिपोर्ट लेते हुये एवं उन्हें सुनवाई का मौका देते हुये, अंगद की आराजी में नियमानुसार सभी वारिसो को वहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनााक 30.10.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें।

भू. प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

12. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2005 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

13. निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर